संशोधित आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017/दिनॉक– 05 जनवरी, 2018, के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत तथा सहपठित शासनादेश संख्या–30/XXX(2)/2018-30(13)2017 दिनांक–06.02.2018, शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026/ 20917 दिनांक–06.04.2026, शासनादेश संख्या–400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–01.06.2026 एवं शासनादेश संख्या–403252/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक–09.06.2026 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 23.06.2026 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महक सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–1(विकास शाखा)	कृ0भू0सं0अ0 कोटद्वार	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	जनहित में

श्री महक सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री महक सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

"उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के पत्र संख्या–01/399036/2026/XXV/ई–103441/2026 दिनांक–27.05.2026 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती यदि निर्वाचन नियमावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण **(SIR)** के कार्य सम्पादन में लगी हो तो सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक–15 सितम्बर, 2026 (कार्य सम्पादन) उपरान्त नव तैनाती स्थल हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।"

ह0/–
(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः– कृ0नि0/1982 **/स्था0अनु0–1/वर्ग–1/स्थानान्तरण/2026–27/दिनांक–** 01-07-2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्री महक सिंह, स.कृ.अ.वर्ग–1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार।
2– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री श्री महक सिंह, स.कृ.अ.वर्ग–1 को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4– मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
5– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6– गार्ड पत्रावली।

(डा0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।